

(डी.) छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970 :-

(C.G.Brewery Rules, 1970)

[धारा 62(2),(ए),(डी),(ई),(जी),(एच)और(जे)]

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ** :- यह नियम, छत्तीसगढ़ में बीयर विनिर्माण, संग्रहण, आयात, निर्यात, आदि के लिए दिनांक 18 दिसंबर 1970 को राजपत्र के भाग 4(ग) में प्रकाशित किये गए हैं ।
2. **परिभाषाएं** :- इस नियम के अंतर्गत यवासवनी (ब्रेवरी) से संबंधित 16 शब्दों की परिभाषा दी गई है जैसे - " यवासवनी " - से तात्पर्य ऐसी इमारत से है, जहाँ बीयर बनाई जाती हो, और उसमें ऐसा प्रत्येक स्थान शामिल है जहाँ बीयर संग्रहीत की जाती हो तथा जहाँ से बीयर बाहर भेजी जाती हो । इत्यादि

(क) बीयर भट्टियों की स्थापना

3. **लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र** :- कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने लिये कलेक्टर के जरिये आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को **फार्म ख-1** में करेगा ।
4. **लाइसेंस मंजूर करने से पहिले परिसर का निरीक्षण** :- बीयर बनाने के लिए लाइसेंस मंजूर करने से पहिले आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई आबकारी पदाधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और नक्शे तथा उपयुक्त प्रविष्टि में मिलान करेगा और उसे तदनुसार प्रमाणित करेगा ।
5. **लाइसेंस मंजूर करने के लिए शर्तें** :- लाइसेंस नियमानुसार शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जायेगा ।
6. **लाइसेंस नामंजूर या मंजूर करने की शक्ति** :- आबकारी आयुक्त को राज्य में वास्तविक आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये किसी भी आवेदन पत्र को मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति होगी ।
7. **यवासवनी चलाने के लिये लाइसेंस का फार्म और लाइसेंस फीस** :- आबकारी आयुक्त यवासवनी चलाने के लिये **फार्म ख-1** अ में लाइसेंस मंजूर होगा उसके लिए प्रत्येक आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिये फीस 50,000/- रूपये होगी
8. **जमानत की जमा रकम की जब्ती और उसमें से कटौती** :- तत्समय प्रवृत्त आबकारी विधियों का उल्लंघन करने की स्थिति में यदि वह उल्लंघन आबकारी विभाग के किसी पदाधिकारी के समक्ष, जिला आबकारी पदाधिकारी के पद से कम पद का न हो, सिद्ध कर दिया जाये तो जमानत की जमा रकम संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग यवासवनी लायसेंस सहित जब्त कर लिया जाएगा ।
9. **लाइसेंस का नवीकरण** :- आगामी आबकारी वर्ष के लिये लायसेंस के नवीनीकरण हेतु **फार्म ख-2** में आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या उससे पहले कलेक्टर के जरिये आबकारी आयुक्त की प्रस्तुत किया जाएगा ।
10. **अनवीकृत लाइसेंस को टाला जायेगा** :- अनवीकृत लाइसेंस वैध लाइसेंस नहीं होंगे और लाइसेंस के समाप्त होने के बाद यवासवनी में बनाई बीयर जब्त और राजसात की जा सकेगी और यवासवनी के कार्यकारी पक्ष अवैध रूप से बीयर बनाने के लिए विधि द्वारा उपबंधित शास्तियों के दायित्वहीन होंगे ।
11. **लाइसेंस के समाप्त होने के पश्चात् बीयर आदि हटाना** :- यदि उसके लाइसेंस या नवीकृत लाइसेंस की अवधि के समाप्त हो जाने पर (जब तक उसे नया लाइसेंस मंजूर न किया गया

- हो) यदि उसका लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा तो यवासवक की यवासवनी में रखी पूरी बीयर पर तत्समय लागू नियमों के अनुसार शुल्क का तत्काल भुगतान करना होगा, और यवासवनी में बची हुई संपूर्ण बीयर हटा लेनी होगी ।
- 12 **यवासवक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के लिये कार्यालय की स्थापना की जायेगी :-** यवासवक, प्रभारी पदाधिकारी के लिये यवासवनी के अहाते में कार्यालय फर्नीचर सहित कार्यालय की व्यवस्था करेगा ।
 - 13 **यवासवक द्वारा आबकारी पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिये आवासगृहों की व्यवस्था की जायेगी :-** यवासवक आबकारी आयुक्त के समाधान पर्यन्त यवासवनी में नियुक्त शासकीय आबकारी कर्मचारियों के लिए भी आवासगृहों की व्यवस्था करेगा । कर्मचारियों से वसूल किया जाने वाला किराया और किराये की शर्त वही होगी जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाय ।
 - 14 **शासन यवासवनी में बीयर की हानि आदि के लिए दायी नहीं होगा :-** शासन यवासवनी में संग्रहीत बीयर के आग से नष्ट होने या चोरी होने से हानि या नुकसान पहुँचने या मापने की किसी भी अन्य कारण से हुई हानि के लिये दावा नहीं होगा। आग लगने या दुर्घटना के मामले में यवासवनी का प्रभारी पदाधिकारी दिन या रात को किसी भी समय परिसरों को खोलने के लिये तुरन्त उपस्थित होगा ।
 - 15 **यवासवक के एजेन्टों और अन्य सेवकों की नियुक्ति :-** आसवनियों में आसवक के एजेन्टों और अन्य सेवकों की नियुक्ति को शासित करने वाले नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित यवासवनियों के एजेन्टों और अन्य सेवकों की नियुक्ति के सम्बंध में भी लागू होंगे ।

(ख) यवासवनियों की सामान्य व्यवस्था और प्रबन्ध

- 16 **प्रत्येक कमरे, स्थान और पात्र पर पहिचान चिन्ह अंकित किये जावेगे :-** प्रत्येक कमरे के दरवाजे के बाहर की ओर तथा उस स्थान पर, जहाँ कारोबार चलाया जाता है, और प्रत्येक पात्र के सहजगोचर भाग पर जिस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग किया जाना उपेक्षित हो, उसके अनुसार पात्र, बर्तन, कमरे, या स्थान का नाम तैल रंग से सुवाच्य अक्षरों में अंकित किया जावेगा ।
- 17 **पात्रों को लगाकर रखने की रीति :-** मैशटनो, संग्रहण पात्रों (अंडर बैंक) अनाज घोल पात्रों, ताम्रपात्रों और संग्रह करने तथा खमीर उठाने के पात्रों को इस प्रकार रखा तथा जमाया जायेगा कि प्रत्येक पात्र में रखे पदार्थों को ठीक से मापा या नापा जा सके ।
- 18 **सभी मैशटनो तथा अन्य पात्रों की मापा जायगा :-** सभी मैशटनो, और खमीर पात्रों को प्रभारी पदाधिकारी और लाइसेंसदार द्वारा साथ साथ मापा जायेगा। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा **फार्म ख-3** में सारणी तैयार की जावेगी जिसमें प्रत्येक पात्र की कुल धारिता बल्क लीटर में और गहराई एक पंचमॉश सेन्टीमीटर में दर्शाई जायेगी ।
- 19 **मैशटन आदि इस प्रकार रखे जायेगे कि माप किया जा सके तथा किये गये परिवर्तनों की सूचना प्रभारी पदाधिकारी को दी जायेगी :-** सभी मैशटनो, संग्रहण पात्रों (अंडर बैंक) कूलरो, खमीर पात्रों और निलय पात्रों को इस प्रकार रखा जाएगा तथा जमाया जायगा कि उनके अन्दर की अर्न्तवस्तुओं को ठीक से माप कर या नाप कर सुनिश्चित किया जा सके और प्रभारी पदाधिकारी को लिखित में दो दिन की सूचना दिये बिना उनके आकार, स्थिति या धारिता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
- 20 **मैशटनो आदि की स्थापना में परिवर्तन करने के बाद उनकी पुनः माप करना आवश्यक है :-** ऐसे किसी पात्र का जिसके आकार, स्थिति या धारिता में परिवर्तन किया गया हो, तब तक फिर से उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक प्रभारी अधिकारी द्वारा उसकी पुनः माप न की जाय और यदि आवश्यक हो तो उसके द्वारा नई सारणियाँ तैयार की जावेगी ।

- 21 **यवावसक, बॉट, तराजू, और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करेगा:-** यवावसक को अच्छे तराजूओं और सही भार के बॉटों और अन्य आवश्यक और समुचित उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करनी चाहिये ।
- 22 **आबकारी आयुक्त यवावसवनी (बूअर) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगा :-** आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक यवावसवनी (बूअर) एक आबकारी निरीक्षक के भारसाधन में रखी जाएगी जो यवावसवनी के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जा सकेगा ।
- 23 **नियंत्रण :-** प्रभारी पदाधिकारी जब तक उसे अन्यथा निर्देशित न किया जाए जिला आबकारी पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा और जिसके क्षेत्रीय प्रभार में यवावसवनी स्थित हो, उस जिला आबकारी अधिकारी से पत्र व्यवहार करेगा । यवावसवनी की कार्यप्रणाली से सम्बंधित सभी सामान्य मामलों में यवावसक प्रथमतः प्रभारी पदाधिकारियों को आवेदन करना चाहिये जो यदि आवश्यक हो तो आदेश प्राप्त करेंगे ।
- 24 **यवावसवनी के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यवहार पर प्रभारी पदाधिकारी का नियंत्रण :-** आसवनी परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यवहार को शासित करने वाले नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित यवावसवनी के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और वहाँ उनके व्यवहार के सम्बन्ध में भी लागू होंगे ।
- 25 **समस्त आबकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति के घंटे और छुट्टियाँ :-** आसवनियों में नियुक्त आबकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति के घंटे, उनको मंजूर की जाने वाली छुट्टियाँ और इनके द्वारा किये गये अधिक समय (ओव्हर टाइम) कार्य को शासित करने वाले नियम यवावसवनियों में नियुक्त आबकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।
- 26 **यवावसवनी नियुक्त प्रभारी पदाधिकारी के विशेष कर्तव्य :-** प्रभारी पदाधिकारियों का यह विशेष कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि -
- 1 यवावसक का निहित **फार्म ख-1** अ में लाइसेंस समय पर नवीकृत किया जाता है ।
 - 2 यवावसक का निहित **फार्म ख-2** में अपने परिसर और पात्रों की प्रविष्टि करता है ।
 - 3 यवावसवनी के पात्र और कमरे उचित रूप से कर्मोक्त और चिन्होक्त है ।
 - 4 यवावसवनीयों के प्रबंध के लिये निहित नियमों का सर्वथा पालन किया जाता है ।
- 27 **प्रदाय किये जाने वाले उपकरण :-** प्रभारी पदाधिकारी शर्करा मापक (**मैकरो मीटर**) और थर्मामीटर जैसे आवश्यक उपकरणों का माँग पत्र जिला आबकारी पदाधिकारी के जरिये आबकारी आयुक्त को भेजेगा और **फार्म ख-5** में उनका लेखा रखेगा । वह उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा ।
- 28 **यवावसवनी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये खुली रहेगी :-** यवावसक किसी भी समय कलेक्टर, जिला आबकारी पदाधिकारियों या आबकारी विभाग के किसी अन्य पदाधिकारी को, जो पद में आबकारी निरीक्षक से कम पद का न हो तथा जिसके अधिकार क्षेत्र में यवावसवनी स्थित हो का निरीक्षण और जांच करने देगा और ऐसे निरीक्षण और जांच में सहायता करेगा ।
- 29 **यवावसवनी की पूर्ण सूचना :-** आबकारी आयुक्त किसी भी यवावसक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रभारी पदाधिकारी को यवावसवनी के 48 घंटे पूर्व यवावसवनी करने के अभिप्राय की लिखित सूचना भेजे ।
- 30 **विषैले पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध है :-** आबकारी आयुक्त बीयर के निर्माण में किसी भी ऐसे पदार्थ का प्रयोग किये जाने का निषेध कर सकेगा जो उसके मतानुसार विषैले प्रकार का हो ।
- 31 **नमूनों का विश्लेषण :-** प्रभारी पदाधिकारी या कोई भी निरीक्षण पदाधिकारी विश्लेषण करने के प्रयोजन से मूल्य चुकाये बिना किसी बीयर या उसके निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री का नमूना ले सकेगा ।
- 32 **नमूना लेना :-** लिये गये सभी नमूने प्रभारी पदाधिकारी द्वारा **फार्म ख-6** के रजिस्टर में अभिलिखित किये जायेंगे और राज्य शासन द्वारा अनुमोदित रासायनिक परीक्षण को ऐसे पत्र सहित सीधे भेज दिये जाएंगे जिसमें कौन सी जाँच या विश्लेषण किया जाना है । यह

- बतलाया गया होगा । नमूने टेक्नीकल एक्साइज मैनुअल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार तैयार किये जावेंगे ।
- 33 **यवासवक की पुस्तक :-** यवासवक फार्म ख-4 में एक पुस्तक रखेगा और उसके सम्बन्ध में और उसमें की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में नियमानुसार नियमों का पालन करेगा ।
- 34 **किसी भी यवासवन का उत्पाद किसी अन्य यवासवन के उत्पाद से तब तक नहीं मिलाया जायगा जब तक कि उसका हिसाब न कर लिया जाय :-** यवासवक किसी भी यवासवन उत्पाद को अन्य यवासवन के उत्पाद से तब तक नहीं मिलायेगा जब तक कि प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक का हिसाब (भार तथा धनत्व के संबंध में) न ले लिया जाए ।
- 35 **मिश्रण तैयार करने के समय की अधिसूचना दी जायेगी :-** यवासवन, यवासवन के उत्पाद का किसी अन्य यवासवन उत्पाद के साथ मिश्रण संग्रह कुंड तथा पीपे में के अतिरिक्त किसी और में तब तक नहीं मिलायेगा जब तक कि वह प्रभारी पदाधिकारी को लिखित रूप में इस बात की पूर्व सूचना न दे दे । जब मिश्रण हो जाय तो यवासवक इस प्रकार तैयार हुए मिश्रण की मात्रा तथा गुरुत्व का स्पष्टतया उल्लेख करेगा ।
- 36 **अनाज के घोल के निस्सारण के बाद मैशटन में अनाज के लिये निहित समय :-** मैशटनों में रखे गये अनाज की पुस्तक में अनाज के घोल के निस्सारण के समय के रूप में लिखे गये समय से एक घंटे बाद ज्यों का त्यों तब तक रखे रहने देना चाहिये जब तक की प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित होकर ऐसे अनाज का हिसाब तैयार न कर ले ।
- 37 **अनाज के घोल का निस्सारण उत्पादन कम किया जायगा :-** अनाज का घोल एक के बाद एक पात्रों में तथा यवासवन के प्रथागत क्रम से अंडर बैंक तांबे के पात्र कूलर तथा किण्वन पात्रों डाला जाएगा और अंतिम पात्र से उसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक की प्रभारी अधिकारी द्वारा उसका हिसाब न तैयार कर लिया जावे या जब तक की इन पात्रों में अनाज के घोल के डाले जाने के समय से चौबीस घंटे न बीत जावे ।
- 38 **यवासवन उत्पाद के संग्रहण के लिये नियत समय :-** जब अनाज के घोल को किण्वन पात्र में बहाना आरम्भ कर दिया जाए, तो आसवक द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण उत्पाद अठारह घंटे के भीतर संग्रहीत कर लिया जायेगा ।
- 39 **अवशिष्ट में स्पिरिट निकालने का निषेध :-** यवासवनी के परिसर में बीयर को छोड़कर कोई अन्य शराब नहीं बनाई जायेगी । यवासवनी के अनाज या अवशिष्ट माल से स्पिरिट निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जायेगा ।
- 40 **बीयर में शुद्धकारी पदार्थों को छोड़कर अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध :-** यवासवक बीयर में शुद्धकारी पदार्थों या आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर किये गये पदार्थों को छोड़कर कोई भी पदार्थ न तो घोलेगा, न अपमिश्रित करेगा और न मिलायेगा ।
- 41 **जब तक शुल्क न चुका दिया जाय या बंधपत्र का निष्पादन न किया जाय तब तक बीयर की निकासी नहीं की जावेगी लाने ले जाने में हानि :-** 1 छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 25 के अधीन शुल्क चुका न दिया जावे या यवासवक द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अधीन फार्म ख-7 या ख-8 में बंध पत्र निष्पादित न कर दिया जाये । तब तक यवासवक राज्य के बाहर बीयर का निर्यात करने के लिये निकासी नहीं करेगा । यवासवक राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर की मात्रा पर शासन द्वारा निर्धारित दर से निर्यात शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा ।
- 2 यदि बीयर की हानि की मात्रा विहित मात्रा से अधिक हो तो यवासवक ऐसी हानि मात्रा के लिये लागू शुल्क का भुगतान करेगा ।
- 42 **शुल्क वसूल करने के ढंग :-** शुल्क दो प्रकार से वसूल किया जावेगा 1 स्थानीय उपखजाने में नगद भुगतान द्वारा 2 इस प्रयोजन के लिये रखे गये किसी भी अग्रिम खाते में से पुस्तक आकलन द्वारा ।

- 43 **नगद रूप में शुल्क देने का ढंग :-** यदि यवासवक नगद रूप से शुल्क का भुगतान करना चाहे फार्म ख-8 में तीन प्रति वाला आवेदन खजाने में प्रस्तुत करेगा ।
- 44 **यवासवक की अग्रिम जमा रकम से शुल्क का भुगतान :-** यवासवक को यह अनुमति होगी यवासवनी से निकाली जाने वाली बीयर पर शुल्क का अग्रिम रूप से भुगतान कर दे। कोई भी मूल अग्रिम जमा रकम 2000/- रुपये से कम नहीं होगी ।
- 45 **अग्रिम जमा रकम पर बीयर हटाने के लिये आवेदन पत्र का फार्म :-** जिस बीयर पर लगाया जाने वाला शुल्क अग्रिम जमा रकम में से विकसित किया जाना हो, उसे हटाने के लिए आवेदन पत्र फार्म ख-10 में होगा ।
- 46 **पार के बिना यवासवनी से बीयर ले जाने की अनुमति नहीं होगी :-**
- 47 **यवासवनी से बीयर की निकासी ढंग :-** यवासवनी में निकासी निम्नानुसार की जायेगी (1) शुल्क का पूर्व भुगतान कर देने पर यवासवको के थोक बिक्री परिसरो पर परिवहन के लिये (2) भारत में अन्य राज्यों को बन्धपत्र के अर्न्तगत निर्यात के लिये ।
- 48 **बन्धपत्र के अंतर्गत निर्यात के लिये अपेक्षित पास :-** कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ के किसी यवासवनी में निर्मित बीयर आसवनी के प्रभारी पदाधिकारी, जो इस सम्बंध में प्राधिकृत हो द्वारा फार्म ख-12 में दिये गये पास के अर्न्तगत तथा बन्धपत्र के अधीन विदेशी सिपिरिट के निर्यात कर सकेगा । निष्पादित किये जाने वाला सामान्य बन्धपत्र फार्म ख-7 में तथा विशेष बन्धपत्र फार्म ख-8 होगा
- 49 **दुर्घटना से विनाश:-**जब बीयर जिस पर शुल्क लगाया हो या चुका दिया गया हो, आकस्मिक रूप से आग लग जाने या अन्य अपरिहार्य कारणों से तब नष्ट हो जाये जब कि वह जब कि वह यवासवनी के निर्दिष्ट परिसर में ही रखी हो शासन समाधान पर्यन्त हानि होना सिद्ध कर दिये जाने पर शुल्क की छुट देगा ।
- 50 **शुल्क की वापसी :-** जब बीयर, जिस शुल्क लगाया गया हो उपभोग से लिये उपयुक्त न रहे तो आबकारी आयुक्त, यवासवक से कलेक्टर, के जरिये औपचारिक पत्र की प्राप्ति पर शुल्क की वापसी का आदेश दे सकेगा, बशर्ते ऐसा दावा 6 माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जावे ।
- 51 जिस बीयर पर शुल्क की वापसी के लिये दावा किया गया हो उसकी जाँच की जा सकेगी
- 52 **त्रैमासिक लेखा :-** आबकारी शुल्क वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के प्रथम माह की 7 तारीख को प्रत्येक यवासवक द्वारा जिले के जिला आबकारी पदाधिकारी को फार्म ख-15 में एक लेखा भेजा जाएगा ।
- 53 **भंडार की त्रैमासिक जाँच :-** जिला आबकारी पदाधिकारी द्वारा यवासवनी के लेखाओं की और यवासवनी में रखी हुई कुल बीयर की तीन माह में एक बार जाँच की जाएगी । यदि ऐसी जाँच में यवासवनी के भण्डारण से पाई गई बीयर की मात्रा यवासवनी के भण्डार लेखों में दर्शाई गई मात्रा से अधिक पायी जाए तो यवासवक किसी अधिक बीयर पर, सामान्य निकासी विहित दर से दुगुनी दर पर शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा ।

(छ)-पर्यवेक्षण

- 54 **जिला आबकारी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण :-** जिले आबकारी पदाधिकारी दो माह में कम से कम एक बार यवासवनी का निरीक्षण करेगा ।
- 55 **व्यापारिक गोपनीयता :-** प्रभारी पदाधिकारी को कड़ी मनाही होगी कि वह यवासवक के कार्यों के स्वरूप या विस्तार के संबंध में जानकारी किसी भी व्यक्ति को न बताये ।
- 56 **मैशटन का मापन :-** मैशटनो को शुष्क मापन पद्धति से मापा जाना चाहिए और उन्हें नकली पेंदे (फाल्स बोटम) के उपर से नापा जाएगा ।

- 57 **यवासवनी मे समय समय पर किये जाने वाले मापन और गुरुत्व केवल जॉच के लिये होंगे :-** बीयर बनाने के दौरान किये गये सभी माप और गुरुत्व केवल जॉच के लिये होंगे और वे उत्पाद शुल्क प्रभारित करने या उत्पादन का हिसाब लगाने के लिये आधार नहीं माने जाने चाहिये।
- 58 **प्रभारी पदाधिकारी लाइसेंसदार के लिये नॉद से सराई (डिप्स) और गुरुत्व सुनिश्चित नहीं करेगा :-** प्रभारी पदाधिकारी इकट्ठे किये गये अनाज के धोल (बर्ट) की मात्रा या गुरुत्व की लाइसेंसदार के लिये सुनिश्चित नहीं करेगा।
- 59 **प्रभारी पदाधिकारी और यवासवक द्वारा संचालक किये जाने वाले रजिस्टर :-** प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अनाज के घोलो (बर्ट) के नमूने फार्म ख-6 मे, माप सारणी **फार्म ख-3** मे, बीयर निकासी फार्म ख-11 मे, बीयर का निर्माण और निकासी **फार्म ख-16** मे, यवासवनी को वापस की गई बीयर फार्म ख-17 मे, तथा यवासवक द्वारा फार्म ख-2 मे, रजिस्टर मे परिसर तथा पात्रो से संबधित ब्यौरे वार प्रविष्टि दर्शायी जाएगी। फार्म ख-4 यवासवन पुस्तक ।
- 60 **यवासवनी के वार्षिक विवरण प्रस्तुत तैयार करना :-** प्रत्येक यवासवक आबकारी वर्ष के संबंध मे अपनी यवासवनी से संबधित विवरण फार्म ख-18 मे दो प्रतियो प्रभारी पदाधिकारी के जरिये कलेक्टर को 5 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा ।
- 61 यवासवक प्रभारी पदाधिकारी को ऐसा कोई मामला, जिसमे उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के बारे यह पाया गया हो कि उसने आबकारी विधियो का या उसके नियोजन का विनियमन करने वाले सेवा शर्तो का उल्लंघन किया है, सूचित करने के लिये बाध्य होगा।
- 62 इन नियमो के परे यदि कोई ऐसी बात हो, जिसका समावेश इन नियमो मे नहीं है, तो वहाँ विदेशी मदिरा नियम एवं सामान्य लायसेंस की शर्ते लागू होगी।